निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 01/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

जगदीश पुत्र रघुनाथ जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम खेमावास तहसील आंधी जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा आर॰ ए॰ एस॰
2. ग्राम पंचायत नेवर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 143/2022 ब उनवानी ग्राम पंचायत नेवर बनाम सरकार को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 13.06.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 143/2022 ब उनवानी ग्राम पंचायत नेवर बनाम सरकार दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से विभागीय पैरोकार उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत नेवर ने कोई मुकदमा अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में पेश नहीं किया है । तहसीलदार कार्यालय द्वारा एक प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रशासनिक लेटर उपखण्ड अधिकारी को दे दिया गया जिसे धारा 131 व 132 में दर्ज कर प्रार्थी को एवं अन्य रामस्वरूप, गीता, कल्याण, कमलेश व अर्जुन को नोटिस जारी किये गये ग्राम पंचायत नेवर द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। फिर भी ग्राम पंचायत को

जयपुर

प्रार्थी के रूपमे दर्ज कर सरकार के विरूद्व प्रार्थना पत्र को दर्ज कर लिया गया एवं बाद में बिना पक्षकार बनाये ही प्रार्थी व अन्य को नोटिस जारी किये गये और प्रार्थी की भूमि में से जबरन रास्ता निकालने की गैर कानूनी कार्यवाही की जा रही है जबकि रास्ते की कार्यवाही धारा 251 के तहत की जा सकती है और प्रार्थना पत्र तहसीलदार के जरिये पेश किया गया था तो तहसीलदार को प्रार्थी के रूप में दर्ज किये जाना चाहिये था। अप्रार्थी के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता और ग्राम पंचायत नेवर ने अपने पत्र दिनांक 09.11.022 द्वारा स्पष्ट कहा है कि उसके द्वारा एस डी ओ के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत नेवर बनाम सरकार उनवानी था जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्रार्थी ने प्राप्त कर रखी है उसके बाद बिना किसी प्रार्थना पत्र के बिन संशोधित आदेश के ग्राम पंचायत नेवर में कांट छांट करके स्वयं एस डी ओ साहब ने नेवर के स्थान पर गांवली कर दिया और रिकार्ड में इस तरह की कांट छांट करने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है। यह एक आपराधिक कृत्य भी है कि बिना किसी भी आदेश एवं आवेदन के सरकारी रिकार्ड में अथवा न्यायालय की पत्रावली में हेर फेर और कांट छांट नही की जा सकती है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी के रहते हुए उक्त प्रकरण में न्याय की आशा नहीं है एवं किसी भी प्रकार तथा नियमों से बाहर जाकर पीठासीन अधिकारी प्रकरण को प्रार्थी के खिलाफ करके उसकी भूमियों में रास्ता कायम करना चाहते है और किसी प्रक्रिया की पालना किए बिना प्रार्थी को हानि पहुँचाना चाहते है ऐसा वह राजनितिक कारणों से एव दबाव से कर रहे है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों को खण्डन करते हुये अंकित किया है कि ग्राम खेमावास पहले ग्राम पंचायत नेवर में शामिल था, परन्तु पुर्नगठन के पश्चात ग्राम पंचायत गांवली में शामिल होने से सरपंच ग्राम पंचायत गांवली द्वारा ग्राम खेमावास के खसरा नम्बर 72 में रास्ते के अंकन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद ही न्यायालय में दर्ज किया गया है। जिसमें दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जा रहा है । राजनैतिक कारणों से दबाव बनाने के जो आरोप लगाये गए है वे मिथ्या व निराधार है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने किसी प्रकार का ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ने केवल मात्र कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। संम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
जयपुर

परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोंपो की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर